प्रेस नोट दिनांक 26–09–2020

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहा/कारतूस व असलहा बनाने के छोटे–बड़े उपकरण बरामदः–

अवगत कराना हैं, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियो के विरुद्व चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26–09–2020 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर साईधाम के सामने से नूरपुर गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के दाहिनी तरफ खण्डरनुमा मकान से अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री को चलाते समय अभि0 राशिद पुत्र आबिद निवासी शाहबुद्दीनपुर रोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर को 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 अद्वबने तमंचे, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 14 बाड़ी, 14 नाल, 23 स्प्रिंग, 01 ड्रिल मशीन, 01 वेल्डिंग मशीन तथा अन्य तमंचा बनाने के छोटे–बडे उपकरण सहित समय प्रातः 07:30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 722/2020 धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–राशिद पुत्र आबिद निवासी शाहबुद्दीनपुर रोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः–

1–02 अवैध तमंचें 315 बोर।
2–01 अवैध तमंचा 12 बोर।
3–06 अद्वबने तमंचे।
4–02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
5–14 बाड़ी, 14 नाल,
6–23 स्प्रिंग, 01 ड्रिल मशीन।
7–01 वेल्डिंग मशीन, अन्य तमंचा बनाने के छोटे–बडे उपकरण।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै खुद ही लोगो की डिमाण्ड पर छोटे–बड़े तमंचे बनाता हूॅ और 03–04 हजार रुपये में बेच देता हूॅ। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का तस्कर हैं, जो वर्ष–2012 में जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर से व वर्ष–2018 में थाना मंसूरपुर से तमंचे बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही हैं। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री अशोक सोलंकी, प्रभारी निरीक्षक, थाना देवबन्द, सहारनपुर।
2–व0उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार राय, थाना देवबन्द, सहारनपुर।
3–उ0नि0 श्री संजीव कुमार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।
4–है0का0 190 अफजाल, थाना देवबन्द, सहारनपुर।
5–है0का0 43 ओमपाल सिंह, थाना देवबन्द, सहारनपुर।
6–का0 510 सचिन तोमर, थाना देवबन्द, सहारनपुर।
7–का0 1215 कपिल कुमार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।
8–का0 306 अमित पंवार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

-प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–12 सहारनपुर द्वारा एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजाः–

अवगत कराना है कि दिनांक 07.11.2012 को वादी अजित पुत्र खचेडू नि0 ग्रा0 लुकादडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर के भाई सुभाष, भतीजे काले उर्फ विजयपाल व भोंदू निवासीगण ग्रा0 लुकादडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को अभियुक्त गौरव पुत्र अमरपाल ग्राम लुकादडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर व अन्य अभियुक्तगणों द्वारा लाठी, तंमंचो आदि से लैस होकर मारपीट व हत्या की सूचना पर मु0अ0स0 218/2012 धारा 120बी,147,148,302,149,307 भादवि थाना बडगांव पर पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे में विवेचना के दौरान अभियुक्त गौरव पुत्र अमरपाल की गिरफ्तारी व बरामदगी के बाद मु0अ0स0 233/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 171ए/13 व 173/13 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–12 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–12 स0पुर द्वारा दिनांक 25.09.2020 को माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–12 स0पुर द्वारा अभियुक्त गौरव पुत्र अमरपाल स0पुर को मु0अ0स0 218/2012 धारा 120बी,147,148,302,149,307 भादवि का दोषी पाते हुए को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड व 233/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अन्य 06 अभियुक्तगणों को पूर्व में दिनांक 20.12.2017 को माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–04 स0पुर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।